जनपद – संतकबीरनगर*　　　　*प्रेस विज्ञप्ति*　　　　*दिनाँक 10.04.2024

दबिश के दौरान 05 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता 1. विपिन तिवारी पुत्र जगदम्बा तिवारी निवासी परसहर थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर 2. रामभवन उर्फ त्रिभुवन पुत्र केवल निवासी मदरहा थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रजनीश राय, उ0नि0 श्री गामा यादव, का0 मनोज कुमार यादव।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता 1. महेन्द्र पुत्र वंशीधर निवासी गंगौरा टोला मुरदहिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर 2. रामसूरत पुत्र रामनाथ निवासी गंगौरा टोला ककरहिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर 3. रामधनी पुत्र सीताराम निवासी उर्फ सेतू करमहिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अजीत प्रताप सिंह, का0 राहुल कुमार यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्तों गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 118 वाहनों से 1,50,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 10.04.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 118 वाहनों से 1,50,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　दिनॉक 10.04.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा लूट / डकैती के घटना का सफल अनावरण करते हुये सलवार सूट के 19 थान कपड़े, दुपट्टा टेरीकाट 212 पीस, काटन दुपट्टा 99 पीस, नोज पीस 35 अदद, 01 अदद मोटर साइकिल पैसन प्रो0, 01 अदद मोबाइल एनड्राएड सेट POCO कम्पनी व 02 अदद मोबाइल एनड्रायड सेट के साथ 01 नफर अभियुक्त व 01 नफर बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में लूट/डकैती जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद ***श्री रामकृपाल सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनांक 10.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर बालूशासन गाँव के पास से अभियुक्त 1. अजीत वर्मा पुत्र बाले वर्मा निवासी उसका राजा थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर 2. बाल अपचारी को सलवार सूट के विभिन्न रंग के 19 थान कपड़े, दुपट्टा टेरीकाट 212 पीस, काटन दुपट्टा 99 पीस, नोज पीस विभिन्न रंग के 35 अदद, 01 अदद मोटर साइकिल पैसन प्रो0 नं0– UP51AC6592, 01 अदद एन्ड्राएड मोबाइल सेट POCO कम्पनी का व 02 अदद मोबाइल एनड्रायड सेट के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी / बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 285/2024 का सफल अनावरण करते हुए संकलित साक्ष्यों के आधार पर धारा 394 भादवि का विलोपन करते हुए धारा 395/397/412 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

घटना विवरण-

दिनांक 07.04.2024 को वादी शकील अहमद पुत्र रियाजुद्दीन ग्राम भिटिया थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर सूचना दिया गया कि दिनांक 06.04.2024 को मैं बरदहिया बाजार खलीलाबाद में दुकान के लिये कपड़ो और टुपट्टो की खरीददारी के लिये आया था। खरीदारी के बाद मैं अपना सामान को अपनी बाइक नं0 UP51AC 6592 पैशन प्रो0 पर बाँध कर बेलौहा जा रहा था कि रास्ते में बालूशासन पुल से नीचे पहुँचा ही था कि मेरी गाड़ी के आगे एक सफेद रंग की कार एकाएक रोक दी तथा रोड के किनारे झाड़ में 2-3 लोग पहले से छिपे थे जो गाड़ी रोकते ही मुझे मारने लगे और मेरी गाडी और उस पर लदा सामान और मेरा मोबाइल POCO -31 जिसमें नम्बर 8081344902 लगा था छीन लिया। उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 285/2024 धारा 394 भादवि पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण–

1-अजीत वर्मा पुत्र बाले वर्मा निवासी उसका राजा थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

2- बाल अपचारी।

बरामदगी का विवरण –

सलवार सूट के विभिन्न रंग के 19 थान कपड़े, दुपट्टा टेरीकाट 212 पीस, काटन दुपट्टा 99 पीस, नोज पीस विभिन्न रंग के 35 अदद, 01 अदद मोटर साइकिल पैसन प्रो0 नं0 – UP51AC6592, 01 अदद एन्ड्राएड मोबाइल सेट POCO कम्पनी का व जामा तलाशी का दो अदद मोबाइल एनड्रायड सेट

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हमने अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 06.04.2024 को रात्रि करीब 11.30 बजे जब एक व्यापारी बरदहिया बाजार से माल खरीद कर बखिरा के तरफ इसी पैसन प्रो मोटर साइकिल UP51AC6592 से माल लेकर जा रहा था। उसी समय हमने तथा हमारे अन्य साथियों ने मिलकर रेडिमेट कपड़ो का गट्टा, यह पैशन प्रो मोटर साइकिल तथा व्यापारी का मोबाइल सेट मारपीट कर व्यापारी से लूट लिये थे।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण–

स्वाट /सर्विलांस टीम-

01.उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव प्रभारी स्वाट टीम जनपद संतकबीरनगर
02.उ0नि0 श्री रमेश यादव साइबर थाना संतकबीरनगर
03.उ0नि0 श्री सूर्यभान यादव, का0 उत्तम, का0 कमलेश यादव थाना कोतवाली खलीलाबाद
04. हे0का0 बृजकिशोर गुप्ता स्वाट टीम
05.का0 अरुण कुमार हलवाई स्वाट टीम
06.का0 वीर बहादुर यादव स्वाट टीम
07.का0 सर्वेश कुमार मिश्रा एसओजी
08. का0 दीपक सिंह एसओजी
09. का0 अनिल कुमार साहनी एसओजी
10. का0 अरविन्द यादव एसओजी
11. हे0का0 रामललित सर्विलांस सेल
12. हे0का0 अजीत यादव सर्विलांस सेल
13. का0 ज्ञान प्रकाश सिंह सर्विलांस सेल

नोट- (उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु पुलिस टीम के उत्साह वर्धन हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर द्वारा 10,000 रूपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की गयी है।)

दिनांक 07.04.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत बालूशासन पुल के पास घटित लूट/डकैती की घटना के अनावरण तथा पुलिस प्रशासन द्वारा कृत कार्यवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर द्वारा दी गई बाइट

जनपद – संतकबीरनगर* *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 10.04.2024

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन में थानो को वितरण किये जाने हेतु सामानों का किया गया निरीक्षण, दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनांक 10.04.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन सन्तकबीरनगर में स्थित जनपद के समस्त थानों को कार्य सरकार हेतु वितरण किये जाने वालो सामानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पत्रावलियों व अभिलेखों का गहनता से निरीक्षण किया गया साथ ही अभिलेखों के रखरखाव व उनको अद्यतन रखने तथा साफ-सफाई का भी जायज़ा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा प्रतिसार निरीक्षक श्री रजनीकान्त ओझा को जनपद के थानो को कार्य सरकार हेतु सामानों का अविलम्ब वितरण कराने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर***, प्रतिसार निरीक्षक ***श्री रजनीकान्त ओझा***, पीआरओ पुलिस अधीक्षक ***उ0नि0 श्री जीतेन्द्र यादव*** सहित अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

जनपद – संतकबीरनगर* *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 10.04.2024

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन संतकबीरनगर में जनपद के थानो को कार्य सरकार हेतु वितरित किये गये सामान

आज दिनांक 10.04.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन सन्तकबीरनगर में स्थित जनपद के समस्त थानों को कार्य सरकार हेतु वितरण किये जाने हेतु प्रतिसार निरीक्षक श्री रजनीकान्त ओझा को निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** की उपस्थिति में रिजर्व पुलिस लाईन संतकबीरनगर में जनपद संतकबीरनगर के समस्त थानों को कार्य सरकार हेतु प्रिन्टर, पैडेस्टल फैन, A4 साईज पेपर, वाटर कूलर, सिम्फनी कूलर, वालफैन, सीलिंग फैन, इन्वर्टन व बैट्री, पानी जार मिल्टन, पानी ग्लास कांच सेट आदि सामान वितरित किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर***, प्रतिसार निरीक्षक ***श्री रजनीकान्त ओझा***, पीआरओ पुलिस अधीक्षक ***उ0नि0 श्री जीतेन्द्र यादव*** सहित अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

रिजर्व पुलिस लाईन संतकबीरनगर में जनपद के थानो को कार्य सरकार हेतु वितरित किये गये सामान के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा दी गयी बाईट

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.04.2024

आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा अर्धसैनिक बलों के साथ किया गया एरिया डोमिनेशन / फ्लैग मार्च

आज दिनांक 10.04.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा चुनाव को भयमुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबद ***श्री रामकृपाल सिंह*** द्वारा अर्धसैनिक बल के साथ थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत चंगेरा मंगेरा,तिनुहारी,उमिला,जुरी,अनही,गिरधरपुर व अन्य गांवो में फ्लैग मार्च / एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही की गयी। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया गया व लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की अपील की गई साथ ही चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने वाले व शांति व्यवस्था खराब करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गयी। इस दौरान पुलिस बल व सीआईएसएफ बल के अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 10.04.2024

अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में की गयी गोष्ठी, दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनाँक 10.04.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत रिजर्व पुलिस लाइन सभागार मे उच्चाधिकारियों के साथ गोष्ठी की गई व शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया। गोष्ठी के दौरान क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री बृजेश सिंह, क्षेत्राधिकारी लाइन *श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*, सहित समस्त थानों के प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष उपस्थित रहे ।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 10.04.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले से संबंधित फरार 07 अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही

आज दिनांक 10.04.2024 को थाना दुधारा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 192/ 2024 धारा 147/148/ 307/323/504/506/427 भा0द0वी0 में फरार अभियुक्तों 01. रेहान पुत्र मशहूर आलम, 02. अमवाल उर्फ पल्लू पुत्र शाह आलम, 03. सोहेल पुत्र रफीउद्दीन, 04. निहाल पुत्र शाह आलम, 05.फैजान पुत्र मशहूर आलम, 06. रिजवान उर्फ राजू पुत्र मशहूर आलम, 07.मसुद्दीन चौधरी पुत्र शिबू निवासीगण टेमा रहमत थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध 82 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी। थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत उक्त अभियोग में 07 अभियुक्त फरार चल रहे हैं तथा अभी तक माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। जिस पर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री रामकृपाल सिंह मय टीम द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा की गयी तथा डुगडुगी बजवाकर अभियुक्तों के निवास स्थान ग्राम टेमा रहमत में नोटिस चस्पा कराकर मुनादी करायी गयी, यदि फरार अभियुक्त समयावधि के भीतर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।